भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3044
उत्तर दिनांक 19/03/2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा संबंधी समस्याएं

3044. श्री मयंककुमार नायक
श्री नरहरी अमीन
श्री बृज लाल
श्रीमती किरण चौधरी
श्री नारायण कोरागप्पा
श्री राजीब भट्टाचार्जी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) परमाणु ईंधन और रिएक्टर पुर्जों पर सीमा शुल्क में वर्ष 2035 तक प्रदान की गई छूट से परमाणु विद्युत की प्रति इकाई कुल लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) नव स्वीकृत 700 मेगावाट क्षमता वाली दस पीएचडब्ल्यूआर इकाइयों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कौन से विशेष उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान के लिए आवंटित बढ़ी हुई अनुसंधान और विकास राशि के लिए पहचाने गए प्रमुख केंद्र बिंदु क्या हैं;

(घ) क्या सरकार तटीय राज्यों में प्रस्तावित परमाणु पार्कों के निर्माण और सामग्री परिवहन को तेज करने के लिए पीएम गति शक्ति प्लेटफार्म को एकीकृत करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामानों के आयात पर शून्य सीमा शुल्क लागू किए जाने से उन परियोजनाओं की परियोजना लागत तथा उत्पादित विद्युत इकाई लागत में कमी आएगी, जो विदेशी सहयोग से स्थापित की जा रही है और जिनमें आयातित उपकरणों की मात्रा अधिक होती है। इससे परियोजनाएं अधिक व्यवहार्य बनेंगी।

(ख) एनपीसीआईएल द्वारा 10 नई अनुमोदित 700 मेगावाट(वि) पीएचडब्ल्यूआर इकाइयों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

- आदेशों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए थोक आदेश जारी करना।
- आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते हुए विक्रेता आधार का विस्तार करना।
- आयात प्रतिस्थापन के लिए स्वदेशी उपकरणों का विकास और विक्रेता विकास
- कुछ उपकरणों को वर्ग-1 स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए आरक्षित रखना।
- एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए विक्रेता बैठकों का आयोजन और बोलियों में एमएसएमई को प्राथमिकता देना।

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) विभिन्न स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित करता है। बीएआरसी को आवंटित बढ़े हुए अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण का मुख्य उद्देश्य, आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए विभागीय अधिदेश के अनुरूप बहुविषयक क्षेत्रों में नए अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी विकास पर है। मुख्य केंद्रित क्षेत्रों में शामिल हैं;

(i) अनुसंधान एवं विकास के लिए नए अनुसंधान रिएक्टरों के विकास और तैनाती का प्रमुख कार्यक्रम।

(ii) आइसोटोप उत्पादन में विशेष रूप से कैंसर उपचार के लिए आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए आइसोटोप प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ आइसोटोप उत्पादन रिएक्टर।

(iii) बिजली और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) सहित नए रिएक्टरों के लिए रिएक्टर प्रौद्योगिकियों का विकास जिसमें संबद्ध हाइड्रोजन उत्पादन चक्रों और उनके अग्र एवं पश्च-भाग ईंधन चक्रों का विकास शामिल है।

(iv) इन उन्नत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु सामाजिक, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च कणपुंज (बीम) ऊर्जा प्राप्त करने के लिए त्वरक कार्यक्रम के साथ-साथ संबद्ध क्रायोजेनिक और अतिचालक प्रौद्योगिकियों का विकास।

(v) चिकित्सीय और अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों के लिए लेजर-आधारित प्रौद्योगिकी का विकास, और

(vi) इन प्रमुख कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए उन्नत सामग्री और विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का विकास।

(घ) व (ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****